इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25258-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३७ सन् २०११

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अंक और शब्द "२५,००० रुपये" के स्थान पर, अंक और शब्द "२,५०,००० रुपये" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, अंक और शब्द "५०,००० रुपये" के स्थान पर, अंक और शब्द "१०,००,००० रुपये" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विगत १०-१५ वर्षों में भू-सम्पत्ति के बाजार मूल्य में अनेक गुना वृद्धि हुई है. इसी दौरान, मुद्रा स्फीति के दबाव के कारण, हाल ही के वर्षों में रुपये का मूल्य अत्यधिक नीचे गिर गया है. भू-सम्पत्ति के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण बहुत कम संख्या में सिविल वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालयों में फाइल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी धन संबंधी अधिकारिता की सीमा क्रमशः २५,००० रुपये और ५०,००० रुपये तक ही है. परिणामतः, कई सिविल वाद जिनमें भू-सम्पत्ति से संबंधित विवाद अन्तर्वलित हैं, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में फाइल किए जा रहे हैं, जहां पहले से ही अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का बहुत अधिक भार है.

२. वादियों को आसानी से न्याय प्राप्त करने में मदद देने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता की सीमाओं में यथोचित वृद्धि की जाए. इससे जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना और आसान हो जाएगा और वादियों को अधिक न्याय प्राप्त होगा. अतएव, जिला स्तर पर आसानी से न्याय प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में यथोचित संशोधन द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता को रुपये २५,००० से रुपये २,५०,००० तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता को रुपये ५०,००० से १० लाख बढ़ाया जाए.

3. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २२ नवम्बर, २०११

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.